

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़  
क्रमांक / सरिश्ता / प्रार्थना-पत्र 318 / 24 / 2024 / 455 दिनांक 14.06.2024

तहसीलदार  
चित्तौड़गढ़

विषय : पत्थरगढ़ी करने के सम्बन्ध में।

प्रकरण : कैलाश बनाम रतन

उपरोक्त विषयाकित अनवान के प्रकरण में ग्राम धनेतकलां प.ह. धनेतकलां तहसील चित्तौड़गढ़ सम्वत 2078-81 खतौनी सं. 384 में अकित आराजी न. 1625, 1630, 1631, 1633, 1634, 1635, 1636, 838 कुल कीता 8 कुल रकबा 1.8600 हेक्टर भूमि की बिना किसी के कब्जे में दखलन्दाजी किये पक्षकारान को लिखित सूचना देकर सेटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढ़ी (सीमांकन) कर दिया जावे। शुल्क 2000 रुपए अक्षरे दो हजार प्रार्थी वहन करेंगे। पालना रिपोर्ट न्यायालय में शीघ्र भिजावे।

सलंगन - प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रति



(बीनू देवल)

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौड़गढ़